"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2014—कार्तिक 30, शक 1936

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 1-03/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से., (2004), पुलिस अधीक्षक, बस्तर को दिनांक 20-10-2014 से दिनांक 25-10-2014 तक (कुल 06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 18, 19 एवं 26-10-2014 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यादव आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बस्तर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

छत्तीसगढ़ संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

3. अवकाश काल में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से., (2004) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री यादव की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बस्तर के पद का प्रभार श्री विजय पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बस्तर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुंद गजभिये, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

क्रमांक 9171/3103/21-ब/छ.ग./2014.—माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले विधि अधिकारियों के पारिश्रमिक के संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित विधि अधिकारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कॉलम (3) में उल्लेखित मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर फीस) तथा मुख्यालय से बाहर किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में उपस्थित होने की दशा में कॉलम (4) में उल्लेखित दैनिक पारिश्रमिक नियत करता है :—

क्र.	पदनाम	पुनरीक्षित पारिश्रमिक	मुख्यालय से बाहर किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में उपस्थित होने की दशा में दैनिक पारिश्रमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाधिवक्ता	रु. 86,000/- (छियासी हजार रु.)	रु. 8,000/- (आठ हजार रु.) परन्तु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 17,000/- (सत्रह हजार रु.) से अधिक नहीं.
2.	अति. महाधिवक्ता	रु. 69,000/- (उनहत्तर हजार रु.)	रु. 1700/- (एक हजार सात सौ रु.) परन्तु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 5800/- (पांच हजार आठ सौ रु.) से अधिक नहीं.
3.	उप महाधिवक्ता	रु. 63,000/- (तिरसठ हजार रु.)	रु. 1200/- (एक हजार दो सौ रु.) परन्तु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 3500/- (तीन हजार पांच सौ रु.) से अधिक नहीं.
4.	शासन अधिवक्ता	रु. 52,000/- (बावन हजार रु.)	रु. 800/- (आठ सौ रु.) परन्तु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 2300/- (दो हजार तीन सौ रु.) से अधिक नहीं.
	[illegible] अधिवक्ता	रु. 46,000/- (छियालीस हजार रु.)	रु. 600/- (छः सौ रु.) परन्तु एक दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि रु. 1200/- (एक हजार दो सौ रु.) से अधिक नहीं.

इसके अलावा उपरोक्त सभी विधि अधिकारियों को प्रति माह 80 लीटर पेट्रोल ईंधन की पात्रता रहेगी.

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद-(3428) महाधिवक्ता 01-वेतन-001-अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, प्रमुख सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 4-139/सात-1/2013.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) सहपठित धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कृषि भूमि पर प्रीमियम के उद्ग्रहण के प्रयोजन से प्रीमियम के निर्धारण एवं अधिरोपण के परिवर्तन संबंधी इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-ना (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960, संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 11-7-सात-शा-8-89, भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2000 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 2-113/सात-1/2008, रायपुर दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार पहले की प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में,—

जहां कहीं भी शब्द "उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्डीय पदाधिकारी" आया हो, के स्थान पर शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F-4-139/Seven-1/2013.—In exercise of the powers conferred by Clause (iii) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's amended Notification No. 175-6477-VI-N (Rules), dated 6th January, 1960, amended Notification No. F-11-7-VII-S-8-89, Bhopal dated 24th January, 2000 and Notification No. 2-113/Seven-1/2008, Raipur, dated 24th October, 2013, regarding Alteration of Assessment and Imposition of Premium, for the purpose of levy of Premium on agricultural land, the same having been proviously published as required under sub-section (3) of Section 258 of the said Code, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification,—

For the words "Sub-Divisional Officer", wherever it occurs, the words "Competent Authority" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-25/2010/32.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-7-2010 जिसमें बिलासपुर निवेश क्षेत्र की सीमायें निर्धारित की गई है, की अनुसूची में उत्तर में ग्राम काठाकोनी एवं पेण्डारी के मध्य बिनौरी भी पढ़ा जावे.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्रमांक/एफ 7-38/2010/32.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक दिनांक 14-10-2010 द्वारा दुर्ग-भिलाई निवेश क्षेत्र जिला दुर्ग का गठन करते हुए उसकी सीमाएं परिनिश्चित की गई है, में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) (क) के तहत राज्य शासन उक्त निवेश क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्गठन करते हुये नीचे दी गई अनुसूची पुनरीक्षित सीमाएं परिनिश्चित करता है :—

अनुसूची

दुर्ग-भिलाई निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम दमोदा, बोरई, पोटिया सेवती, अंजोरा, ढाबा, डाडेसरा, समोदा, झेंझरी, करंजाभिलाई, बासीन, अहेरी, बाघडूमर, सेमरिया, ओखरा, मुरमुंदा, अछोटी, बोरसी, कंडरका, सांकरा एवं ग्राम पंचदेवरी की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम पंचदेवरी, खपरी, कुम्हारी, मगरघटा, भोथली, अमलेश्वर, खुडमुड़ा, घुघवा एवं ग्राम जमराव की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम जमराव, महुंदा, कापसी, मोतीपुर, अमलीडीह, अमेरी, औरी, करसा, पहडोर, मुड़पार, पतोरा, उतई, पुरई, खम्हरिया, कोड़िया, चंदखुरी, थनौद एवं ग्राम बिरेझर की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बिरेझर, थनौद, अंजोरा, खपरी, रसमड़ा, गनियारी, बोरई, खुरसुल, खुर्सीडीह एवं ग्राम दमोदा की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्रमांक-एफ 7-58/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए छुरिया निवेश क्षेत्र, जिला राजनांदगांव का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

छुरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम चंदैनीडीह, डुमरडीह, बनियाटोला एवं ग्राम शिकारीमहका की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम शिकारीमहका की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम शिकारीमहका, तेंदुटोला, घुपसाल, कुमर्राछुरिया एवं ग्राम चंदैनीडीह की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम चंदैनीडीह की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्रमांक/एफ 19-16/2014/25-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 01, अनुक्रमांक 34, अनुक्रमांक 39, अनुक्रमांक 42, अनुक्रमांक 90 एवं अनुक्रमांक 93 में शामिल जातियों के आगे उनके सम्मुख अंकित निम्नानुसार जातियों को सम्मिलित करता है :—

क्र.	अ.पि. वर्ग की सूची का अनुक्रमांक	पूर्व से सम्मिलित जाति	नवीन सम्मिलित जाति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी, ग्वारी, गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, रावत.	गहिरा, गौली
2.	34	जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता	भटरी, भडरी, भठरी
3.	39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी.	कुन्वी, कुनवी
4.	42	कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना	कलवार
5.	90	भूलिया, भोलिया	भुलिया
6.	93	रौनियार	कमलापुरी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3542 को दिनांक 12-10-2014 से 31-03-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्रमांक/7121/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	रेंगाकठेरा प. ह. नं. 14	0.036	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	घुमरिया नाला पर उच्च स्तरीय पुल पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्रमांक/7122/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	नांदिया प. ह. नं. 31	0.077	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	नांदिया-बरारमुण्डी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2011-12—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोडिहारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.638 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1145	0.178
1142/1	0.041
1141/2	0.136
1219/1क	0.044
1201	0.016
1222, 1223/1	0.105
1146/1	0.268
1142/2	0.041
1147/1	0.081
1205	0.053
1219/2क	0.019
1218	0.042
1146/2	0.016
1142/7	0.077
1148	0.057
1206	0.008
1219/3	0.036
1143	0.100
1141/1	0.140

	(1)	(2)
	1204	0.024
	1202/2	0.103
	1219/1ख	0.053
योग	22	1.638

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुंडी नाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2011-12—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिरोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.998 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	215/2	0.004
	218/2	0.021
	203/2	0.029
	183/1, 193/1	0.016
	176/1	0.025
	159	0.036
	231/1, 257/1, 258/1	0.029
	221/1	0.029
	259/1	0.064
	191/1ख	0.162
	184/1	0.016
	176/2	0.025
	(1)	(2)
	164/1	0.032
	219/1	0.049
	282, 283	0.081
	173/1	0.082
	182/2, 194/2	0.004
	176/3	0.025
	163/4	0.045
	219/2	0.045
	284/2, 285/2	0.029
	185/1	0.017
	182/1	0.040
	169/1	0.037
	160/1	0.056
योग	25	0.998

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुंडी नाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक/7095/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-कोदवा, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.526 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
124/1	0.053
124/2	0.085
126	0.089
124/6	0.081
124/7	0.032
124/8	0.024
133/1, 133/2	0.162
योग 8	0.526

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोदवा बुढ़ा सागर मार्ग में गण्डई नाला पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक/6416/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-चिरमी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2686	0.20
2687	0.05
2702	0.04
2703	0.14
2720	0.12
2722	0.02
योग 6	0.57

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-पटमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1359	0.19
1360	0.01
1361	0.06
1362/2	0.22
1362/3	0.29
1363	0.20
1409	0.08
1411	0.12
योग 8	1.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी-खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्रमांक/6664/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
(ग) नगर/ग्राम-मनेन्द्रगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	157/4	0.162
योग	1	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेल्वे ओव्हर ब्रिज पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक/01/अ-82/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-चारभाठा, प.ह.नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	989/2	0.23
योग	1	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुड़पार जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक/02/अ-82/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-पण्डरभट्टा, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	39/2	0.08
योग		0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झाल जलाशय के स्पिल पार में प्रभावित निजी भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक/04/अ-82/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-पिकरी, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.035 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	19/2	0.012
	50/3	2.023
योग	2	2.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिकरी जलाशय के डूबान क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक/05/अ-82/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डेंगाभाट, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.67 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	48/1	0.06
	48/2	0.07
	48/3	0.01
	49/1	0.01
	45/1	0.04
	46	0.05
	115/2, 3	0.13
	116	0.13
	117	0.05
	120	0.03
	121/3	0.03
	124	0.06
योग	12	0.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हेम्प व्यप. दाहिनी तट नहर के अंतर्गत बैहरसरी माइनर में.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक/06/अ-82/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरवाबांधा, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	291	0.04
	292/2	0.11
	295/1	0.09
	296/1	0.01
	296/2	0.02
	297/1	0.05
	297/2	0.07
	362	0.10
	363/1	0.04
	366	0.01
	370	0.04
	371/1	0.02
	371/2	0.02
	402/1	0.02
	402/2	0.04
	403	0.06
	423	0.07
	424	0.06
योग		0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरवाबांधा जलाशय के नहर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक/07/अ-82/भू-अर्जन/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1008	0.02
	1010/2	0.12
	1011	0.10
योग	3	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसदा जलाशय योजना में स्पील चैनल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक/07/अ-82/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तिलईपार, प.ह.नं. 04/6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.02
योग	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदहरा जलाशय के नहर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक/08/अ-82/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-झालम, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
758	0.10
761	0.10
759	0.08
762	0.05
760	0.07
764	0.10
योग	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरी फेस-2 झालम माइनर नहर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक/09/अ-82/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बेलदहरा, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88	0.23
योग	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदहरा जलाशय के डूबान में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

टी।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, जिला कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

क्रमांक/10072/अधीक्षक/2014.—सुश्री संतन देवी जांगड़े, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा/पोंड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा को दिनांक 30-10-2014 से अवकाश स्वीकृत होने से उनके प्रभार क्षेत्र के अनुविभाग को निम्नांकित अधिकारियों को आगामी आदेश तक सौंपा जाता है :—

(1) श्री इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल (आई.ए.एस.) सहायक कलेक्टर कोरबा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा का प्रभार सौंपा जाता है.

(2) श्री विजेन्द्र सिंह पाटले (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर कोरबा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पोंड़ी-उपरोड़ा का प्रभार सौंपा जाता है.

दोनों अधिकारी परिवीक्षा अवधि पर होने के कारण उनके द्वारा राजस्व न्यायालयों में पारित आदेशों की पुष्टि श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर डिप्टी कलेक्टर कोरबा द्वारा की जावेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रीना बाबा साहेब कंगाले,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/4050.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/249 रायपुर, दिनांक 09-04-2013 द्वारा श्री ए. के. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर जिला-नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला नारायणपुर के पत्र क्रमांक 242 दिनांक 27-10-2014 द्वारा श्री एम. आर. चेलक डिप्टी कलेक्टर नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने की अनुशंसा किया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ए. के. धृतलहरे संयुक्त कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नारायणपुर का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एम. आर. चेलक डिप्टी कलेक्टर नारायणपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नारायणपुर जिला नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th October 2014

No. 7801/CSJA/3rd Part Ind./2013 Batch/2014.—The following newly appointed **Civil Judges Class-II** as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 10-11-2014 by 4.00 P.M. for undergoing the 3rd Part of Institutional Training Programme scheduled to be held from 11th November, 2014 to 11th December, 2014.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Pawan Kumar Agrawal	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
2.	Shri Pankaj Dixit	VX Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Shri Mohd. Jahangir Tigala,	III Civil Judge Class-II, Bilaspur
4.	Ku. Bushra Kamal	III Civil Judge Class-II, Ambikapur
5.	Smt. Ravinder Kaur	Civil Judge Class-II, Korba
6.	Shri Bhupat Singh Sahu	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
7.	Ku. Sakshee Dixit	I Civil Judge Class-II, Raigarh
8.	Shri Sheelu Singh	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
9.	Ku. Namita Anne Minj	II Civil Judge Class-II, Durg
10.	Shri Mohit Singh	Civil Judge Class-II, Kanker
11.	Shri Sumit Kumar Harsyana	II Civil Judge Class-II, Dantewada
12.	Shri Sumit Kumar Soni	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
13.	Ku. Manisha Thakur	I Civil Judge Class-II, Bemetara
14.	Shri Shyam Kumar Sahu	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
15.	Ku. Anita Pradhan	II Civil Judge Class-II, Balod
16.	Shri Mahesh Babu Sahu	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
17.	Ku. Rajeshwari Suryavanshi	I Civil Judge Class-II, Surajpur
18.	Ku. Reshma Bairagi	I Civil Judge Class-II, Dhamtari
19.	Shri Satish Kumar Khakha	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
20.	Shri Nixion Daved Lakra	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
21.	Smt. Chandrakala Devi Sahu	II Civil Judge Class-II, Surajpur
22.	Shri Brijesh Rai	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
23.	Shri Subodh Mishra	XII Civil Judge Class-II, Raipur
24.	Ms. Shubhda Goyal	III Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
25.	Shri Jeetendra Pradhan	Civil Judge Class-II, Jashpur Nagar
26.	Vyankatesh Singh	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
27.	Shri Radheshyam Dhruw	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur

(1)	(2)	(3)
28.	Ku. Sarojani Parmar	IV Civil Judge Class-II, Raipur
29.	Shri Rosemin Rajesh Xaxa	IV Civil Judge Class-II, Ambikapur
30.	Ku. Akanksha Bhardwaj	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
31.	Shri Vijendra Sonwani	XIII Civil Judge Class-II, Raipur
32.	Shri Girish Kumar Mandavi	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur
33.	Shri Anand Borkar	VI Civil Judge Class-II, Durg
34.	Ku. Pratibha Markam	XIV Civil Judge Class-II, Raipur

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books and also to bring 5 Civil & 5 Criminal copies of judgments rendered by them during the actual judicial work.

A) Code of Civil Procedure
B) Code of Criminal Procedure
C) Evidence Act
D) Limitation Act
E) Indian Penal Code
F) Rules & Orders-Civil & Criminal
G) Stamp & Court Fees Act
H) Arms Act
I) C. G. Excise Act
J) Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

Bilaspur, the 30th October 2014

No. 1109/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rajendra Chandra Singh Samant, District & Sessions Judge.	Kabirdham	Raipur	Raipur	District & Sessions Judge.
2.	Smt. Vimla Singh Kapoor, District & Sessions Judge.	Baikunthpur	Kabirdham	Kabirdham (Kawardha)	District & Sessions Judge.
3.	Shri Govind Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Baikunthpur	Baikunthpur	Koria (Baikunthpur)	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 30th October 2014

No. 1110/Confdl./2014/II-3-1/2014.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Balram Kumar Dewangan Civil Judge Class-II.	Kota	Balrampur	Balrampur	Civil Judge Class-II
2.	Ku. Yashoda Kashyap, Civil Judge Class-II.	Sakti	Kota	Bilaspur	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 30th October 2014

No. 1123/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following candidates, as mentioned in Column No. (2) of the table below, who have been appointed on probation as District Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Higher Judicial Service by the State Government, are posted at the place and in the capacity as shown against their names in Column No. (4) with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this order.

The following candidates are also appointed as Additional Sessions Judge for the Session Division mentioned in Column No. (3) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Sessions Division (3)	Posted as (4)
1.	Shri Neeraj Sharma, S/o Shri B. L. Sharma (Advocate), Ramdas Marg, Near Mama-Bhanja Talab, Tikrapara, Bilaspur (C.G.) Pin-495 004.	Raigarh	III Additional District & Sessions Judge, Raigarh.
2.	Shri Rajeev Kumar, H. No. 1165, Urban Estate Jind (Haryana), Pin-126102.	Bilaspur	IX Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
3.	Shri Suresh Joon, H. No. 177, Sec-2, Bahadurgarh Police Station, P. S. City Bahadurgarh, District-Jhajjar (Haryana) Pin-124507.	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
4.	Smt. Neelima Singh Baghel, W/o Shri Pushpendra Singh Baghel, R/o House No. R-7 Ideal Hills, Polipather, Narmada Road Jabalpur (M. P.)	Durg	V Additional District & Sessions Judge, Durg.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Shri Dukhi Ram Dewangan, Add. Deputy Director, Prosecution Office, District Court Premises, Surguja (Ambikapur) (C.G.) Pin-497001.	Raigarh	IV Additional District & Sessions Judge, Raigarh.
6.	Smt. Shubhra Pachouri, D/o Mr. N. K. Pachouri (Advocate), H. No.-447, Ward No. 36, Dr. Abha Khare Road, Choube Colony, Chhatarpur (M.P.) Pin-471001.	Raigarh	V Additional District & Sessions Judge, Raigarh.
7.	Shri Ganesh Ram Burman, Near Pre-Matric S. C. Girls Hostel, Ward No. 19, Indira Nagar, Janjgir, District-Janjgir-Champa (C.G.).	Raipur	IV Additional District & Sessions Judge, Raipur.
8.	Shri Vijay Kumar Jolhe, Vatsalya Bhawan, Near Balaji Temple, Anand Nagar, Raipur (C.G.).	Raipur	VIII Additional District & Sessions Judge, Raipur.

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 31st October 2014

No. 629/L.G./2014/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradia, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for 09 days from 13-10-2014 to 21-10-2014 along with permission to remain out of headquarters from 13-10-2014 till 26-10-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 251 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st October 2014

No. 630/L.G./2014/II-2-07/2009.—Shri Mahadev Katulkar, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 13-10-2014 to 15-10-2014 along with permission to remain out of headquarters from 11-10-2014 to 15-10-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katulkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+01 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st October 2014

No. 631/L.G./2014/II-3-27/2008.—Shri Ashok Kumar Potdar, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 09 days from 13-10-2014 to 21-10-2014 along with permission to leave headquarters from 11-10-2014 till 26-10-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Potdar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 271 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st October 2014

No. 632/L.G./2014/II-3-20/2007.—Shri Shivmangal Pandey, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 11 days from 07-10-2014 to 17-10-2014 along with permission to remain out of headquarters from 02-10-2014 till 19-10-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pandey, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 274 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).